...नियम, सा.का.नि. सं. 2722 तारीख 29-11-75 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा उनका संशोधन किया गया : सा.का.नि. सं. 429 तारीख 5-5-84।

[संख्या 213/2/87-ए.वी.डी. II]
जी सीतारामन, अवर सचिव

...OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 21st July, 1987

...591.—In exercise of the powers conferred by the ...article 309 of the Constitution, the President makes the following rules further to amend the ...Bureau of Investigation (Deputy Legal Adviser) ...Rules, 1975, namely :—

...rules may be called he Central Bureau of In-...(Deputy Legal Adviser) Recruitment Rules, ...

...They shall come into force on the date of their ...in the Official Gazette.

...the Schedule to the Central Bureau of Investigation ...Legal Adviser) Recruitment Rules, 1975, in column ...the entry, the following shall be substituted,

"Not exceeding 45 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman Islands and Lakshadweep)."

...Note : The principal rules were notified vide GSR 2722 dated the 29-11-1975 and were subsequently ...ed vide GSR No. 429 dated 5th May, 1984.

[No. 213/2/87-AVD. II]
G. SITARAMAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1987

सा.का.नि. 592.—केन्द्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छल-...(संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की ...26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समपहृत संपत्ति अपील ...करण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) नियम, 1978 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) नियम, 1978 में,—

(क) नियम 3 के उपनियम (3) में, "3500 रु. प्रतिमास" अंक और शब्दों के स्थान पर "8000 रु. प्रतिमास (नियत)" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) नियम 4 में, "3000 रु. प्रतिमास संबलम" अंक और शब्दों के स्थान पर "7300-100-7600 रु. प्रतिमास वाले वेतनमान में संबलम" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

टिप्पण मूल नियम सा.का.नि. 395 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 4 अगस्त, 1978 में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया।

(1) सा.का.नि. 1177, तारीख 15-11-1980

(2) सा.का.नि. 953 (अ) तारीख 31-12-1985

[सं. 28/87/(फा.सं. 27/5/87-ए डी I सी)]
ए. के. सिन्हा, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 15th July, 1987

G.S.R. 592.—In exercise of the powers conferred by section 26 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1978, namely :—

1. (1) These rles may be called the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Amendment Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1978,—

(a) in sub-rule (3) of rule 3, for the words and figures "Rs. 3,500 per mensem", the words figures and brackets "Rs. 8,000 (fixed) per mensem" shall be substituted;

(b) in rule 4, for the words and figures "a salary of Rs. 3,000 per mensem", the words and figures "a salary in the scale of pay of Rs. 7,300-100-7,600 per mensem" shall be substituted.

Note : Principal rules were published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary in the issue dated the 4th August, 1978 with G.S.R. 395(E), subsequently amended by :—

(i) GSR 1177 dated 15-11-1980.

(ii) GSR 953(E) dated 31-12-1985.

[No. 28/87 (F. No. 27/5/87-Ad. IC)]
A. K. SINHA, Desk Officer

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1987

सा.का.नि. 593.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निरीक्षण निदेशालय (सीमा-शुल्क ...न्द्रीय उत्पाद-शुल्क (वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1972 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया

गया है या करने से लोप किया गया है, निरीक्षण और लेखा परीक्षा निदेशालय में निरीक्षक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निरीक्षण और लेखा परीक्षा निदेशालय (सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क) (निरीक्षक अधिकारी) भर्ती नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
निरीक्षक अधिकारी	24* (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित अननुसचिवीय	2000-60-2300-द.रो.-75-3200-100-3500 रु. तथा विशेष वेतन, जो विनिश्चित सरकार द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती पद्धति (भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति) स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :— निम्न पदों को नियमित रूप से धारण करने वाले— (i) केंद्रीय उत्पाद अधीक्षक ; (ii) सीमा-शुल्क मूल्य निरूपक ; (iii) सीमा-शुल्क अधीक्षक (निवारक) ; (iv) समूह "ख" राजपत्रित अनुसूचिवीय अधिकारी अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड और सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलेक्टरी के प्रशासनिक अधिकारी, सहायक मुख्य लेखाधिकारी और निदेशालयों के लेखा परीक्षक। टिप्पण : किसी भी समय क. सं. (iv) के अधिकारियों द्वारा धारित पदों की संख्या निरीक्षक अधिकारियों के पदों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत से कम और 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
लागू नहीं होता	आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/12/85-प्रशा. II-बी]
एस. पी. कुंडु, अवर सचिव

New Delhi, the 27th July, 1987

G.S.R. 593.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Inspection, (Customs and Central Excise) (Class I and Class II posts), Recruitment Rules, 1972, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Inspecting Officer in the Directorate of Inspection and Audit, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate of Inspection and Audit (Customs and Central Excise) (Inspecting Officers) Recruitment Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Inspecting Officer.	24* (1987) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500 plus special pay as decided by the Government.	Not applicable.	Not applicable.

Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitments whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By transfer on deputation

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer/grade from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)	(14)
TRANSFER ON DEPUTATION Regular holders of the posts of:- (i) Superintendent of Central Excise; (ii) Appraisers of Customs; (iii) Superintendent of Customs (Preventive); (iv) Group 'B' Gazetted Ministerial Officer, i.e., Administrative Officers, Assistant Chief Accounts Officers and Examiners of Accounts of the Directorates under the Central Board of Excise and the Customs and Central Excise Collectorates. Note:-At any point of time the number of posts held by the officers at S.No. (iv) shall not be less than 10% or exceed 20% of the total number of posts of Inspecting Officers (Period of deputation including period in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed 5 years).	Not applicable	Consultation with the Commission not necessary.

[F. No. A-12018/12/85-Ad.IIB]

S.P. KUNDU, Under Secy.